

प्रेषक

मेजर योगेन्द्र यादव  
अपर सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।                | 2 | मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल उत्तराखण्ड। |
| 3 | समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।   | 4 | समस्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड।              |
| 5 | प्रबन्ध निदेशक उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) देहरादून। |   |   |

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 2। अक्टूबर, 2021

विषय :- उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से प्रायोजित कार्मिकों को प्रोत्साहन भत्ते में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या : 791 / XVII-5 / 16-09(17)2004 टी.सी.-1 दिनांक 22 जुलाई, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रायोजित कार्मिकों की समस्त श्रेणियों में उन्हें पूर्व से अनुमन्य मानदेय के अतिरिक्त त्रैमासिक आधार पर अतिरिक्त धनराशि के रूप में मिलने वाले रू0 2800/- प्रतिमाह शुद्ध प्रोत्साहन भत्ते में अभिवृद्धि करते हुए, निम्नानुसार प्रतिमाह संशोधित प्रोत्साहन भत्ता त्रैमासिक आधार पर अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

विवरण	10 वर्ष तक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	10 वर्ष से अधिक के अनुभव पर देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि
कार्मिकों को देय प्रोत्साहन/विशेष भत्ता राशि	रू0 4800.00 प्रतिमाह	रू0 5800.00 प्रतिमाह
सर्विस चार्ज 2.5 प्रतिशत	रू0 120.00	रू0 145.00
<b>योग-</b>	<b>रू0 4920.00</b>	<b>रू0 5945.00</b>
जी.एस.टी. 18 प्रतिशत	रू0 886.00	रू0 1070.00
मुख्य नियोक्ता द्वारा देय कुल राशि	रू0 5806.00	रू0 7015.00

2 उक्तवत् अभिवृद्धि शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3 यह आदेश वित्त विभाग, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के अशा0संख्या-152(म0)XXVII(3)/2021 दिनांक 18-10-2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मेजर योगेंद्र यादव)  
अपर सचिव।

संख्या : / XVII-C-1/2021-9(17)2004 टी0सी0-2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2 वरिष्ठ निजी सचिव/निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
- 3 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4 एन.आई.सी।
- 5 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(निर्मल कुमार)  
अनुसचिव।